

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/31109-6667819/जो. जयपुर/2024/12707224 दिनांक- 3/2/25

### आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कर्मियों का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2024-2025 में एमएससी नर्सिंग कोर्स में चयन किये जाने के उपरान्त प्रशिक्षण निम्नांकित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है -

क.स.	कर्मचारी का नाम एवं पद नाम	पदस्थापन स्थान	आंवटित कॉलेज
1.	पूनम लाठर नर्सिंग ऑफीसर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इण्डाली, झुन्झुनु	उपचार कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर

#### शर्तें:-

- संबंधित कार्मिक का आवेदन सक्षम स्तर से आरयूएचएस को अग्रेषित किया गया हो ।
  - कार्मिक को नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराना होगा । उच्च अध्ययन/तकनीकी /प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा ।
  - संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07(01)चिस्वा/ग्रुप-3/2022 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपरोक्त कार्मिक स्वयं के बकाया अवकाश/अध्ययन अवकाश पर नियमानुसार उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगें
  - उक्त प्रशिक्षण हेतु राजस्थान सेवा नियम 110-112 के अनुसार जिन कार्मिकों का राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुये पोस्ट बेसिक बीएससी/एमएससी नर्सिंग प्रतिनियुक्ति की है, की प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नहीं माने जाने के कारण इन्हें पोस्ट बेसिक बीएससी /एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण स्वयं के बकाया अवकाश(उपार्जित/अर्द्ध वेतनिक/असाधारण) पर प्रशिक्षण कराना होगा एवं चयनित कार्मिका द्वारा आवश्यक शपथ पत्र दिये जाने पर प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा ।
  - यदि कार्मिका ने पूर्व में अध्ययन अवकाश का उपभोग किया है तो इन्हें अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा ।
  - कार्मिका प्रशिक्षण अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेगें ।
  - प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिका तुरन्त निदेशालय में अपनी उपस्थिति देगें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
  - कार्मिका प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदौन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगें ।
  - राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी ।
  - नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा ।
- नोट-उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले मे यह आदेश लागू नहीं होगा ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/31109-6667819/जो. जयपुर/2024/12707224 दिनांक- 3/2/25

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनु को प्रेषित कर लेख है कि आदेश में उल्लेखित शर्तें 1-10 के अध्याधीन कार्यमुक्त करे ।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी झुन्झुनु ।
3. प्रधानाचार्य उपचार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर ।
4. रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
6. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :31-01-2025 11:08:53